



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, राँची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फ़ोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

No. महाप्रबंधक(अधि-स्था)/प्रोन्नति/उत्खनन./ई3-ई 4 /2025/2532-55 दिनांक: 4 /02/2025

कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(CC)/Prom.E3-E4_Excvt/2024/B-75 दिनांक:-28/01/2025 के आलोक में निम्नलिखित सहायक-प्रबन्धक (उत्खनन)/ई3 ग्रेड की प्रोन्नति उप-प्रबन्धक (उत्खनन)/ई4 ग्रेड (वेतनमान रु. 70,000-2,00,000) के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है एवं उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर (जो उनके नाम के सामने दर्शायी गई है) पर योगदान देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

Sl.No.	EIS no	Name	Place of Posting
1	90349093	Sri Deepak Kumar	Argada Area
2	90373440	Sri Abhishek Gautam	Argada Area

संबन्धित अधिकारियों की प्रोन्नति उसी तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से वे उच्च पद पर पदभार ग्रहण करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। वे आगे के कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे।

संबन्धित अधिकारियों को आदेश जारी करने की तारीख से तीस(30) दिनों के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में APAR भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

This order is subject to the outcome of the WP No.1224 of 2022 ; Hitesh Kumar Sahu Vs CIL & Ors pending in the Hon'ble High Court of Chhattisgarh at Bilaspur.

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति पश्चात उपरांत किया जाता है।

निर्दिष्ट खलरखी
4/2/25
उप-प्रबन्धक (का-अधि-स्था°)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

- निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, राँची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
- महाप्रबंधक(का-अधि-स्था.) सीआईएल, कोलकाता।
- महाप्रबंधक (उत्खनन)/सुरक्षा / (सतर्कता) / (ईई) / (एचआरडी) / (प्रणाली) / (वित्त), सीसीएल, राँची।
- महाप्रबंधक:-अरगड़ा क्षेत्र
- क्षेत्र वित्त प्रबंधक/अमला अधिकारी:- अरगड़ा क्षेत्र।
- मुख्य प्रबंधक/ प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर) / (स्था.), सीसीएल, राँची।
- प्रबंधक/ उप-प्रबन्धक (कार्मिक-ईई), सीसीएल, राँची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
- वरीय अधिकारी (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, राँची।
- सहायक प्रबंधक (कार्मिक-ईई), सीसीएल, राँची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- संबन्धित अधिकारी।